




109

### न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

निगरानी 198-PBR-15



महेश कुमार पिता शोभागमलजी जैन,  
निवासी ग्राम टाण्डा तह. कुक्षी  
जिला धार (म0प्र0)

.....प्रार्थी

बनाम

गुलाबसिंह फौत वारिस, क्र. 1 व 2 :-

1. सजन पिता गुलाबसिंह,
2. मंग्याबाई पति गुमानसिंह पिता गुलाबसिंह  
निवासी ग्राम बांकी (टाण्डा) तह. कुक्षी  
जिला धार

शोभागमल पिता मोतीलाल फौत वारिस :-

3. जसदंत कुमारी बेवा कनकमल
4. राजेन्द्र कुमार पिता शोभागमल,
5. सुरेश कुमार पिता शोभागमल,  
निवासी ग्राम टाण्डा तह. कुक्षी जिला धार
6. म0प्र0 शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी कुक्षी .....विपक्षीगण

क्रमांक 4354  
राजस्व मण्डल न.प्र. ग्वालियर  
24-1-15

### निगरानी आवेदन-पत्र धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

महोदय,

विपक्षीगण सजन एवं मंग्याबाई ने न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व कुक्षी के प्रकरण क्रमांक 5/85-86/अ-23 में पारित आदेश दिनांक 24.02.1986 एवं 09.02.1986 के विरुद्ध न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय, धार के न्यायालय में अवधी बाहर अपील प्रस्तुत की, जो प्रकरण क्र. 23/14-15 अपील पर दर्ज होकर न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय, धार में अपने आदेश क्रमांक 06.09.2014 के द्वारा विपक्षीगण की अपील अवधी अंदर मान्य कर व भूमि बिक्री नहीं करने का स्थगन आदेश पारित किया।

*(Handwritten signature)*



*(Handwritten signature)*

.....2

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 198-पीबीआर/2015 जिला धार

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
12-03-19	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी कलेक्टर न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को संभागीय आयुक्त के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो।</p> <p> जी३२</p> <p> अध्यक्ष</p>	